

किम्बर्ली प्रोसेस

भारत में आयात/निर्यात प्राधिकारण

रिफ्रेन्स: जीजेसी/केपी-परिपत्र/63/2014-15/1773.

दिनाँक: मार्च 11, 2015

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

विषय: भारत में अपरिष्कृत डायमंड के निर्यातकों, आयातकों, खरीददारों, विक्रेताओं और उत्पादकों से स्टॉक का ब्योरा

ये आपके ध्यान में लाया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 खत्म होने की कगार पर है, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के सभी हीरा निर्यातकों, आयातकों, खरीददारों, विक्रेताओं और उत्पादकों सदस्य या गैर-सदस्य को संलग्नक-1 में दिये गए प्रारूप के हिसाब से निदेशक/भागीदार/मालिक द्वारा प्रमाणित स्टॉक डिक्लेरेशन जमा करना होगा।

ऊपर दिये गए सभी मापदंड देश के सभी स्पेशल इकोनोमिक जोन में भी मान्य होंगे। ये सभी संबन्धित एसईज़ेड विकास आयुक्त के कार्यालय में अपने सभी दस्तावेज जमा करा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्टॉक का ब्योरा 30 अप्रैल 2015 से पहले आपके लेटरहेड पर जमा होने चाहिए, अगर ये शून्य हैं तब भी। आप सही से हस्तारिक्षत स्टॉक ब्योरा की स्कैन प्रतिलिपि को ईमेल के जिरये kp@gjepcindia.com पर भी भेज सकते हैं।

इसे जमा न करने की स्थिति में, फर्म/कंपनी द्वारा इसे जमा करवाने तक जीजेईपीसी के आयात/निर्यात प्राधिकरण केपी प्रमाण पत्र के अनुमोदन के लिए भेजे गए आवेदन पत्र को रोक सकते हैं।

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि निर्यात के आवेदन के लिए यदि केपी प्रमाण पत्र का जारी करना किसी स्थानीय खरीदी बिल से समर्थित है, तो इस स्थिति में यदि परिषद को पहले स्टॉक का ब्योरा जमा न किया गया हो, तो स्टॉक का ब्योरा देने का उत्तरदायीत्व कंपनी/फर्म का होगा, फिर चाहे वो जीजेईपीसी का सदस्य हो या गैर-सदस्य।

जीजेईपीसी के गैर-सदस्य अपरिष्कृत हीरों का स्टॉक डिक्लेरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट से अटेस्ट करा कर समय से जमा करें। सभी संबंधित से निवेदन किया जाता हिया कि ऊपर दी गई जानकारी का ध्यान रखें और इसके लिए सभी ज़रूरी आवश्यक कार्यवाई करें। परिपत्र की प्रतिलिप एवं संलग्नक www www.gjepc.org में किम्बर्ली इन्फो वर्ग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप परिषद के केपी विभाग से kp@gjepcindia.com पर ईमेल या टेलीफोन से 022-26544711/712/713/714 पर संपर्क करें।

सादर के साथ

सब्यसची रे

कार्यकारी निर्देशक

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. (भारत)

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: kp@gjepcindia.com/ho@gjepcindia.com वेबसाईट:http://www.gjepc.org



संलग्नक-1

कंपनी के लेटर हेड पर

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अपरिष्कृत हीरों के स्टॉक का ब्यौरा

		कैरेट
1/4/2014 को अपरिष्कृत हीरों का पहला स्टॉक		
	Α	
किम्बर्ली प्रोसेस के अंतर्गत आयात		
स्थानीय खरीददारी		
पूर्ण योग (सब टोटल) B		
स्थानीय बिक्री		
उत्पाद के लिए इस्तेमाल		
किम्बर्ली प्रोसेस के अंतर्गत निर्यात		
अन्य(कृप्या ब्यौरा दें)		
पूर्ण योग (सब टोटल) C		
अपरिष्कृत हीरों का आखिरी (क्लोजिंग) स्टॉक		

घोषणा:

चालान किये गये हीरे वैध स्रोत से खरीदें गये हैं जिनमे कोई निधिकरण संघर्ष नही है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार मान्य हैं। डायमंड्स के संभरक द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी और/या लिखित गारंटी के हिसाब से विक्रेता इस बात की गारंटी देता है की ये हीरे संघर्ष से मुक्त (conflict free) हैं।

निर्देशक/भागीदार/मालिक का म्हर और हस्ताक्षर यदि आवश्यक हो तो चार्टेड अकाउंटेंट का मुहर और हस्ताक्षर जीजेईपीसी का सदस्यता क्रमांक यदि आवश्यक हो तो आईईसी (IEC) नंबर पैन (PAN) नंबर वैट (VAT) नंबर

जीजेईपीसी